राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2355/2010/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, उदयपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

श्री विजय प्रताप सिंह चुण्डावत पुत्र कल्याण सिंह,
सी–115, गांधी नगर, सेक्टर–5, चित्तौड़गढ़ .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/08/2017

निर्णय

1. राजस्व की ओर से उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–बी द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 77 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2008 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

2. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

3. उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी ठेकेदार को उदयपुर संभाग के जिलों में बिल्डिंग स्टोन के कर संग्रहण का ठेका मिला हुआ था, जिसमें पंजीकृत व्यवसाईयों से कर वसूलने का अधिकार नहीं था परन्तु ठेका दिया जाने के पश्चात अतिरिक्त आयुक्त, ए.ई., जयपुर द्वारा दिनांक 11.06.2008 के अनुबंध के बिन्दू संख्या 17 में पंजीकृत व्यवसाइयों से कर वसूली की पाबंदी को विलोपित कर दिया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2008 में इस बिन्दू पर कोई उल्लेख किये बिना एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की सुनवाई का अवसर दिये बिना पंजीकृत व्यवसाइयों से एकत्रित बिलों की राशि का समायोजन देने संबंधी निर्णय लिये बिना जो आदेश पारित किया गया था उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्यायविरुद्ध मानते हुये अपास्त कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित किये जाने का जो निर्णय दिया गया था। हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 28.06.2010 की पालना में किये गये आदेश दिनांक 08.06.2012 एवं पुनः

लगातार.....2

दिनांक 08.06.2012 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय आदेश दिनांक 28.05.2014 की प्रतियां पेश की साथ ही अन्त में दिनांक 21.04.2016 को उक्त अवधि के सम्बन्ध में पारित अन्तिम आदेश की प्रति भी पेश की गई है जिसमें पूर्व में कर निर्धारण आदेश एवं दोनों अपीलीय आदेश दिनांक 28.06.2010 एवं दिनांक 28.05.2014 के प्रतिप्रेषण के साथ दिये गये निर्देशों के समावेश के साथ आदेश पारित कर दिये गये है अतः उक्त अपील पूर्णतया सारहीन हो चुकी है।

फलतः राजस्व की अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

18/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य